



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-491/BR/5/2022-ESDW

दिनांक :23.01.2025

सेवा में,

श्री मुकुल कुमार गुप्ता  
कलेक्टर सह जिला मजिस्ट्रेट  
जिला - सिवान  
जिलाधिकारी कार्यालय,  
समाहरणालय परिसर,  
सिवान, बिहार -841226  
ई :मेल-dm-siwan.bih@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जिला सिवान जमीन पर श्री नंदलाल सिंह द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाने व जमीन दिलवाने के संबंध में श्री नागेन्द्र प्रसाद, 24,25/289 A, गितांजली पार्क, वेस्ट सागर पुर, नई दिल्ली से प्राप्त अभ्यावेदन।  
संदर्भ: आयोग का पत्र दिनांक 02.01.2025

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **31.01.2025 को 12:00 Noon** बजे सिटिंग /सुनवाई निर्धारित की है।
3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड) 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री नागेन्द्र प्रसाद,  
24,25/289 A, गितांजली पार्क,  
वेस्ट सागर पुर, नई दिल्ली -110046

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

✓ NIC for uploading